संख्या:-104/2021/248आ0/23-5-21-06(भवन)/2018टीसी-1

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 22 सितम्बर, 2021**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-55, राजस्व लेखा के विशेष मरम्मत मद के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी, औरैया व कानपुर के 04 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-214बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/21-22, दिनांक 28-07-2021 एवं पत्र सं0-322बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/21-22, दिनांक 25-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्यों हेतु उनके सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित कुल धनराशि **रू0 57.38 लाख (रू0 सत्तावन लाख अड़तीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत धनराशि	आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
			(धनराशि लाख रू0 में)			
1	15/2020/08आ0/23-5-20-06(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 02.03.2020	कौशाम्बी मुख्यालय मंझनपुर स्थित निरीक्षण भवन का आवश्यक मरम्मतीकरण, रंगाई-पुताई, सेनेटरी, वाटर सप्लाई एवं फर्निशिंग आइटम क्रय के कार्य।	17.62	00.13	17.49	17.14
2	तदैव	कौशाम्बी के मूरतगंज स्थित निरीक्षण भवन के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	16.06	00.13	15.93	15.76
3	तदैव	औरैया के देवकली निरीक्षण भवन की मरम्मत का कार्य।	09.30	00.13	09.17	09.17
4	तदैव	कानपुर नगर में सिविल लाइन्स स्थित निरीक्षण भवन को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित कराने के कार्य।	15.44	00.13	15.31	15.31
योग :-			**58.42**	**00.52**	**57.90**	**57.38**

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख-रखाव तथा मरम्मत-06-सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत-00-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित कार्य हेतु स्तम्भ-2 में वर्णित शासनादेश की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6- उक्त स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
महेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या:-104/2021/248आ0(1)/23-5-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी प्रयागराज, औरैया व कानपुर नगर।
4- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, व कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0।
10- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त व कानपुर वृत्त, लो0नि0वि0।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कौशाम्बी।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कानपुर नगर।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।